

O/o E.D. (EITC)  
 CSPDCL Raipur  
 Receipt No. 5689  
 Date 11 JAN 2022  
 AGM (IT)  
 SE (O)SE  
 EE  
 Section

सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में प्रथम अपीलीय अधिकारी  
 श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

04/2021 दिनांक 01.10.2021

श्री गणेश वारे  
 रायपुर  
 विरुद्ध

अपीलार्थी

श्री पंकज सिंह परमार  
 जनसूचना अधिकारी

प्रतिअपीलार्थी

--: आदेश :-

(दिनांक 22/12/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री गणेश वारे ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-दो, के निर्णय दिनांक 26.08.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2)/- प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :-

(I)	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलार्थी श्री गणेश वारे द्वारा निम्न जानकारी /दस्तावेज चाही गई है :-	(अ) छ.ग.वि.मं. एवं छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनीज में उत्पा./पारे./वितरण के समस्त पदों का संयुक्त रूप से पैनल एवं ग्रेडेशन संधारण किए जाने की नीति-नियम (Policy-Rules) की प्रति। (ब) छ.ग.वि.मं. एवं छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनीज में उत्पा./पारे./ वितरण के समस्त पदों का पृथक-पृथक रूप से पैनल/ग्रेडेशन संधारण किए जाने की नीति-नियम (Policy-Rules) की प्रति।
(II)	अपील की सुनवाई :-	अपील की सुनवाई दिनांक 28.10.2021 को निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
(III)	अपील की पुनः सुनवाई :-	अपील की पुनः सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को अपीलार्थी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।  अपील की पुनः सुनवाई मौखिक रूप से दिनांक 25.11.2021 को दोपहर 11:30 बजे निर्धारित की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पुनः निर्धारित तिथि 25.11.2021 को अपरिहार्य कारणवश अपील सुनवाई को स्थगित किया गया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी। और अपील की सुनवाई दिनांक 09.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के DPIO तथा अपीलार्थी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(IV)	अपीलार्थी का तर्क :-	जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं होने का लेख किया गया है। छ.ग.वि.मं. एवं छ.ग. स्टेट पॉवर कंपनीज में निरंतर पैनल तथा ग्रेडेशन का संधारण किया जा रहा है, बावजूद इसके जन सूचना अधिकारी द्वारा यह जानकारी प्रेषित किया जाना कि वांछित जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं है जन सूचनाधिकारों की अवहेलना है। यदि छ.ग.वि.मं. एवं छ.ग.स्टे.पॉ. कंपनीज में पैनल एवं ग्रेडेशन संधारण किया जाता रहा है तथा किया जा रहा हो तब बिना नीति-नियम (Policy- Rules) के कैसे संधारित किया जा सकता है। अतः प्रार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
(V)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष :-	<p>कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 26.08.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को चाही गई जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। तत्संबंध में कोई संकलित नीति-नियम नहीं है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को यह भी अवगत कराया गया कि पॉवर जनरेशन कंपनी में समस्त पदों का पैनल एवं ग्रेडेशन पृथक रूप से बनाई जाती है। तथापि पारे./वित. के समस्त पदों का संयुक्त रूप से पैनल एवं ग्रेडेशन संधारण किए जाने एवं पृथक-पृथक रूप से पैनल एवं ग्रेडेशन संधारण किए जाने की नीति-नियम (Policy- Rules) की प्रति कार्यालयीन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।</p> <p>यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/ सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अपीलार्थी जिस नीति-नियम (Policy- Rules) की प्रति चाह रहे है वैसा नीति-नियम की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि अपीलार्थी को उनके शंका के समाधान हेतु ग्रेडेशन निर्धारण से संबंधित अलग-अलग दस्तावेजों में बिखरी हुई दिशा-निर्देश तथा अंतरण योजना की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है। चूंकि वर्तमान में पॉवर कंपनीज में अंतरण योजना के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है।</p>

(3) प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका क्रमांक (V) में जो कार्यवाही एवं तर्क दिया गया है वह न्याय संगत है।

जैसा कि छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनीज में पारे./वितरण के समस्त पदों का संयुक्त रूप से पैनल एवं ग्रेडेशन संधारण किए जाने एवं समस्त पदों का पृथक-पृथक रूप से पैनल/ग्रेडेशन संधारण किए जाने की नीति-नियम (Policy-Rules) की प्रति कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।

जन सूचना अधिकारी द्वारा तालिका क्रमांक (V) में दिये गए तर्क से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी के संबंध में ग्रेडेशन निर्धारण से संबंधित फुटकर दस्तावेज एवं अंतरण योजना की प्रति उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत होगा। जिससे कि अपीलार्थी के शंका का समाधान हो सके तथा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो सके।

(4) जहाँ तक अपील का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा जिस सूचना/जानकारी की मांग किया जा रहा है वैसा नीति-नियम कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि अपीलार्थी को पॉवर कंपनीज में ग्रेडेशन निर्धारण से संबंधित नीति-नियम जो भी कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अंतरण योजना की प्रति उपलब्ध कराया जा सकता है।

अतः तालिका क्रमांक (v) टीप में दिये गए तर्क को स्वीकार्य करते हुए जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ग्रेडेशन निर्धारण से संबंधित नीति-नियम एवं अंतरण योजना की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराये।

उपरोक्त निर्देश के दृष्टिगत दर्ज अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 04/2021 दिनांक 01.10.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।



(मनोज खरे)

अपीलीय अधिकारी

सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर

दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -04/2021/ 31  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 22/12/2021


- (1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)-दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)-एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) प्रबंधक (मा.स.)-तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) श्री गणेश वारे, पिता श्री मोहन लाल वारे, छोटा भवानी नगर, विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, वार्ड क्रमांक -20, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ (5) कार्यपालक निदेशक (EATC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर -उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता :- सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

अटल नगर, नवा रायपुर



(मनोज खरे)

अपीलीय अधिकारी

सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर

दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक  
श्री आर.पी.नायक  
रायपुर  
विरुद्ध  
श्री पंकज सिंह परमार  
जनसूचना अधिकारी

O/o E.D. (EITC) CSPDCL Raipur	09/2021 दिनांक 12.11.2021
Receipt No. 5658	अपीलार्थी
Date 01 JAN 2022	प्रतिअपीलार्थी
AGM (IT)	
SE (O)/SE web	
EE	
Section	

--: आदेश :-

(दिनांक 22/12/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री आर.पी.नायक ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)-दो, पॉवर होल्डिंग कंपनी के निर्णय दिनांक 13.10.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी श्री आर. पी. नायक द्वारा चाही गई जानकारी/ दस्तावेज :-	दिनांक 01.01.2004 से 31.07.2007 के बीच कौन-कौन अधिकारी, कब-कब, कितने दिनों के लिए निम्न पदों पर असीन रहें, संपूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज :- (अ) मण्डल अध्यक्ष (ब) ऊर्जा सचिव (स) मण्डल सदस्य (द) मण्डल सचिव, समस्त अधिकारी का नाम एवं पद तथा उनके कार्यकाल अवधि की सत्यापित प्रति।
(II)	अपील की सुनवाई तिथि :-	अपील की सुनवाई दिनांक 29.11.2021 को निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
(iii)	अपील की पुनः सुनवाई तिथि -	अपील की सुनवाई दिनांक 09.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/ दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी के तर्क सुने गए। परिणामतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।
(IV)	अपीलार्थी का तर्क :-	जनसूचना अधिकारी द्वारा जो जानकारी दिया गया है वह अपूर्ण है। यह कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी मण्डल स्तर का है अतः ऊर्जा विभाग से लेने वाली बात समझ से परे है। अतः उन्हे कौन-कौन अधिकारी कब-कब कितने दिनों के लिये निम्न पदों पर आसीन रहे है पूर्ण जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।
(V)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन :-	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1951 दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव एवं मण्डल सदस्य की जानकारी छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, नवा रायपुर के कार्यालय से संबंधित है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के संख्या 10/2/2008-आई.आर दिनांक 24.09.2010 के ज्ञापन में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार उक्त जानकारी

	<p>छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग के कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।</p> <p>लेख है कि पत्र क्रमांक 2012 दिनांक 06.10.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि मण्डल सचिव की जानकारी कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध है। अतः धारा 7(1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क रुपये 12/-मात्र का भुगतान कर, उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से अभिलेख शुल्क रुपये 12/-मात्र का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से करते हुए अनुरोध किया गया कि पत्र क्रमांक 1951 दिनांक 27.09.2021 के तहत आपके कार्यालय में जानकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति के अनुसार संबंधित अधिकारी मण्डल के अधीन दिनांक 01.01.2004 से 31.07.2007 तक मण्डल के कार्यालय में संबंधित पद पर आसीन थे। अतः उनका जानकारी मण्डल से ही प्राप्त होना चाहिए। यदि आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो ऊर्जा विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराने की कृपा करें। चूंकि मण्डल से संबंधित जानकारी है अतः मण्डल स्तर पर ही जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।</p>
<p>(VI) जन सूचना अधिकारी का पुनः तर्क :-</p>	<p>पत्र क्रमांक 2065 दिनांक 13.10.2021 के माध्यम से मण्डल सचिव की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जानकारी कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में अपीलार्थी को कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। तथापि अपीलार्थी को यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के संख्या 10/2/2008 आई.आर दिनांक 24.09.2010 के ज्ञापन में निहित तथ्यों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकारी को आवेदन करता है जिसका एक हिस्सा लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है तथा सूचना का शेष हिस्सा एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरा हुआ है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकारी को अलग से आवेदन करें।</p> <p>ऐसी सूचना जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र कर आवेदक को प्रदान करना अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है।</p> <p>भारत सरकार, नई दिल्ली के ज्ञापन में निहित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर यह सलाह दिया गया है कि मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, एवं मण्डल सदस्य की जानकारी ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के कार्यालय से संबंधित है। अतएव उक्त जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।</p>

(VII)	अपीलार्थी का पुनः तर्क :-	जनसूचना अधिकारी द्वारा उसे मण्डल सचिव की जानकारी 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है वह अधूरा है। क्योंकि जनसूचना अधिकारी द्वारा केवल आदेश की प्रति उपलब्ध कराया गया है। जबकि मैंने कौन-कौन अधिकारी कब-कब, कितने दिनों के लिए उक्त पद पर आसीन थे कि जानकारी/दस्तावेज चाही थी। तथापि उन्हें मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव एवं मण्डल सदस्य की जानकारी कार्यालयीन दस्तावेजों में खोजबीन कर उपलब्ध करायी जाए।
(VIII)	जन सूचना अधिकारी का पुनः तर्क :-	<p>अपीलार्थी को मण्डल सचिव की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। अतएव यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। सूचनाधिकार के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में प्रदाय किया जाना है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित कर प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है।</p> <p>यह कि तत्कालीन मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव एवं मण्डल सदस्य की जानकारी लगभग 17 वर्ष पुरानी जानकारी/दस्तावेज है। जिसे अपीलार्थी के अपील निवेदन पर पुनः कार्यालयीन दस्तावेजों/अभिलेखों में खोजबीन कर एकत्र करने का भरसक प्रयास किया गया। किन्तु उक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सका।</p>

(2) प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका क्रमांक (v), (vi) एवं (viii) में जो कार्यवाही एवं तर्क दिया गया है वह विधिसंगत है।

जैसा कि इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी यथा मण्डल अध्यक्ष, मण्डल सदस्य एवं ऊर्जा सचिव की नियुक्ति छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग जारी आदेश के द्वारा की जाती है। उन आदेशों के बाद ये अधिकारी पदभार अथवा पद त्याग करते हैं जिनकी तिथियाँ आगे-पीछे अलग होती हैं। इनका विधिवत रिकार्ड होल्डिंग कंपनी में संधारित नहीं किया जाता है। अतएव अपीलार्थी का यह कथन कि यदि उक्त जानकारी आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग से जानकारी प्राप्त कर उन्हें उपलब्ध कराने की कृपा करें, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ज्ञापन संख्या 10/2/2008 आई.आर दिनांक 24.09.2010 के दृष्टिगत यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए लोक प्राधिकरण को आवेदन करता है जिसका एक हिस्सा लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तथा सूचना का शेष हिस्सा एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरा हुआ है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को अपने लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग से आवेदन करें। अतः अपीलार्थी को मण्डल अध्यक्ष, मण्डल सदस्य एवं ऊर्जा सचिव की जानकारी छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग से संकलित कर उपलब्ध कराया जाना विधिसंगत नहीं है। यद्यपि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को मण्डल सचिव की जानकारी सृजित न कर, जानकारी कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। अतएव यह प्रतिपादित होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर यथोचित नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

जैसा कि अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा किये गये निवेदन के परिप्रेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, एवं मण्डल सदस्य की जानकारी/दस्तावेज पुनः कार्यालयीन दस्तावेजों में खोजबीन कर एकत्र करने का भरसक प्रयास किया गया। किन्तु उक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सके। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त ज्ञापन में निहित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी को पुनः सलाह दी जाती है कि मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, एवं मण्डल सदस्य की जानकारी छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, नवा रायपुर के कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करें।

यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहाँ तक अपील का प्रश्न है, उल्लेखित तालिका क्रमांक (V), (VI) एवं (VIII) के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो सूचना/जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह तथ्यान्तरूप है, जो स्वीकार है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 09/2021 दिनांक 12.11.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।



(मनोज खरें)  
अपीलीय अधिकारी

सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -09/2021/ 32

प्रतिलिपि :-


रायपुर, दिनांक 22/12/2021

- (1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)-दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) श्री आर.पी.नायक, सेवानिवृत्त, सिविल सुपरवाइजर श्रेणी-तीन, मकान नंबर- 54/883 शांति विहार कालोनी, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर -उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता :- सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग  
अटल नगर, नवा रायपुर



(मनोज खरें)  
अपीलीय अधिकारी

सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक -0771-2574700